1948 ई0 का संयुक्त प्रान्तीय मछली ऐक्ट

(उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 45, 1948 ई0)

THE UNITED PROVINCES FISHERIES ACT, 1948

(U.P. Act No. XLV of 1948)

1948[1] ई० का संयुक्त प्रान्तीय मछली ऐक्ट

[संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 45, 1948 ई०]

[संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने 22 अक्टूबर, 1948 ई0 तथा संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल ने 8 नवम्बर, 1948 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

भारतीय (अस्थायी विधान) आदेश सन् 1947 ई0 द्वारा अवस्थानुकूल परिवर्तित भारत शासन विधान सन्, 1935 ई0 की धारा 75 के अन्तर्गत गवर्नर ने दिनांक 20 दिसम्बर, 1948 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और संयुक्त प्रान्तीय शासकीय गजट में दिनांक 1 जनवरी, 1949 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश में मछली–सम्बन्धी कुछ बातों की व्यवस्था करने के लिए

एक

ऐक्ट

प्रस्तावना

क्योंकि यह उचित और आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में मछली सम्बन्धी बातों की व्यवस्था की जाय ;

इसलिए नीचे लिखा हुआ ऐक्ट (विधान) बनाया जाता है ;

संक्षिप्त नाम, कहां–कहां और कब से लागू होगा

1–(1) यह ऐक्ट "1948 ई0 का संयुक्त प्रान्तीय मछली ऐक्ट" कहलाएगा ।

(2) यह सारे उत्तर प्रदेश में लागू होगा ।

(3) यह धारा तुरन्त लागू होगी और शेष धारायें ऐसी तारीख को, ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी अवधि के लिए लागू होंगी, जिनकी राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर नियत कर दे ।

परिभाषायें

2–इस ऐक्ट मे जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग के विपरीत न हो :––

(1) "मछली" में मछली, कछुआ, डौलफिन्स (मछली विशेष का नाम), पानी में उगने वाले ऐसे पौधे, जो मछली पालने के लिए महत्व के होते है और मछली के जीवन काल की प्रत्येक अवस्था की मछली सम्मिलित है ।

(2) "मछली पदाधिकारी" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार ने इस ऐक्ट के समस्त या किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिये या कोई ऐसा काम करने के लिए नियुक्त किया हो, जिसके करने का इस ऐक्ट या इसके अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन आदेश हो, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, जो पद में सब–इन्स्पेक्टर से निम्न पद का हो, इस प्रकार नियुक्त न किया जायगा ।

(3) "मछली पकड़ने का अपराध" से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जो इस ऐक्ट के आदेशों के अधीन दण्डनीय हो ;

(4) "स्थिर एंजिन" से तात्पर्य किसी ऐसे जाल, पिजड़ें (बारयारी), बंसी (फंदा) या मछली पकड़ने के किसी ऐसे अन्य उपकरण से है, जिसे भूमि में लगाया गया हो या जिसे किसी अन्य प्रकार से स्थिर कर दिया गया हो ;

---

1. उद्देश्य व कारणों के विवरण के लिये संयुक्त प्रांतीय गजट, दिनांक जुलाई 7, 1948 देखें।

(5) "निजी जलाशय" से तात्पर्य किसी ऐसे जलाशय से है, जो किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था की एकाकी सम्पत्ति हो या जिसमें किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था या समिति को मछली पकड़ने का स्वामी, पहरेदार या किसी अन्य रूप में एकाधिकार प्राप्त हो और इसमें ऐसे तालाब, तड़ाग, कृत्रिम झील आदि भी सम्मिलित है, जिन्हें उनके स्वामी ने अपने व्यय से खुदवाया हो और जिनमें वर्षा ऋतु में नैसर्गिक पानी अर्थात् नदियों, नहरों, धाराओं और झीलों का पानी न आता हों ;

स्पष्टीकरण—इस परिभाषा के अन्तर्गत जलाशय "निजी जलाशय" ही समझा जायगा, यद्यपि उसमें किसी अन्य व्यक्ति को व्यवहार या प्रथा के द्वारा मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त हो ।

(6) "राज्य सरकार" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(7) "धार्मिक संस्था" से तात्पर्य किसी मन्दिर, मस्जिद या गिर्जे या किसी अन्य ऐसे पवित्र स्थान से है, जो किसी देवता या देवी को अर्पित हो और ऐसी दूसरी संस्थाओं से है, जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में धार्मिक संस्था घोषित करे ;

(8) "धार्मिक समिति" (Religious body) से तात्पर्य उन ट्रस्टियों या ऐसे दूसरे व्यक्तियों से है जिनके संरक्षण में कोई धार्मिक संस्था हो या जिन का उस समय उस धार्मिक संस्था में स्वामित्व हो ;

(9) "धार्मिक जलाशय" से तात्पर्य ऐसे जलाशय से है जो किसी धार्मिक समिति या संस्था का हो और जिसमें से धार्मिक आधार पर लगाए गए किसी भी प्रतिबन्धों के कारण पहले कभी भी मछलियाँ न पकड़ी गई हो ।

नियमों द्वारा चुने हुए जलाशयों में मछलियां मारने पर लाइसेन्स लगाना और उसका निषेध करना

3–(1) [1][राज्य सरकार] इस धारा में आगे बताए गए प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है और ऐसे नियमों के अधीन यह घोषणा करेगी कि किन जलाशयों के सम्बन्ध में यह सब नियम या इनमें से कोई लागू होंगे ।

(2) [1][राज्य सरकार] सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, ऐसे नियमों या इनमें से किसी को किसी निजी जलाशय पर उसके स्वामी और उन सब व्यक्तियों की लिखित स्वीकृति से लागू कर सकती है, जिनको उस समय उसमें से मछलियां पकड़ने का एकाधिकार हो या यदि [1][राज्य सरकार] को इस बात का संतोष हो जाय कि स्वीकृति बिना किसी उचित कारण के रोक ली गई है, तो बिना उनकी स्वीकृति के भी लागू कर सकती है :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी नियम, जो इस धारा के अधीन बनाया गया हो, किसी धार्मिक जलाशय पर लागू न होगा ।

(3) ऐसे नियम :—

(क) नीचे लिखी हुई सब बातों या उनमें से किसी बात को निषिद्ध या नियमित कर सकते है, अर्थात्

(1) स्थिर एंजिनों को लगाना और चलाना ;

(2) स्थायी या अस्थायी बाड़े (जो नदियों में मछलियां पकड़ने के लिये लगाये जाते है) बन्द और बांध बनाना ; और

(3) जालों का नाप, प्रकार और जाल के फंदे या मछली पकड़ने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले किसी अन्य उपकरण का आकार और उनको उपयोग में लाने का ढंग ;

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर 1950 द्वारा (प्रान्तीय सरकार) के लिए प्रतिस्थापित ।

(ख) बन्दूक, बर्छी, धनुष और बाण या उसी प्रकार के हथियारों द्वारा मछली मारना या मारने का प्रयत्न करना, जलाशय को विषैला करना या कारखानों इत्यादि के गंदे पानी से जलाशय गंदा करना ;

(ग) हेल्सा के अतिरिक्त अन्य अंडे–बच्चे जनने वाली नर और मादा मछलियों को अंडे देने के दिनों में (In Roe and Milk) पकड़न या पकड़वान का उद्योग करने या मारने का निषेध करना ;

(घ) लाइसेंस के बिना मछली पकड़ने का निषेध करना, ऐसे लाइसेंस दिये जाने की विधि निर्धारित करना, उनके लिये शुल्क नियत करना और जिन प्रतिबन्धों के साथ वह दिये जायेंगे उनको नियत करना ;

(ङ) ऋतुएं निर्धारित करना, जिनमें किसी विशेष प्रकार की छोटी या बड़ी मछली या उनके अंडे (Spawn) पकड़ने या मारने का निषेध होगा ;

(च) कम से कम नाप या तौल निर्धारित करना, जिससे कम की किसी निर्धारित प्रकार की कोई मछली मारी या बेची न जायगी ;

(छ) किसी निर्दिष्ट जलाशय में नियत अवधि के लिये मछली पकड़ने का निषेध करना;

(ज) किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के बाहर मछलियों के निर्यात और उस मूल्य की व्यवस्था करना, जिस पर सब या किसी विशेष प्रकार की मछलियां निर्दिष्ट मण्डियों में खरीदी या बेची जा सकती है ;

(झ) किसी तालाब या झील के स्वामी, साधिकार बन्धकग्राही (mortgagee with possession) या पट्टेदार को यह आदेश देना कि वह ऐसे तालाब, झील में किसी प्रकार या प्रकारों की मछलियां इकट्ठा करें;

(ञ) मछली व्यवसाय की उन्नति और मछुआरों के उत्थान के लिए संघ या समिति स्थापित करने और इसके लिए चंदा एकत्रित करने के सम्बन्ध में नियम बनायें ।

(4) इस धारा के अन्तर्गत किसी नियम के बनाने में [1][राज्य सरकार] नीचे लिखी हुई बातों की व्यवस्था कर सकती है :

(क) किसी ऐसे उपकरण को छीन लेना, हटा देना और जब्त कर लेना, जो नियमों के विरूद्ध मछली पकड़ने के लिये स्थापित किया या उपयोग में लाया गया हो ;

(ख) किसी ऐसे उपकरण द्वारा पकड़ी हुई किसी मछली को जब्त कर लेना ; और

(ग) मछलियों की किसी ऐसे पेटी को जब्त करना, जो नियमों का उल्लंघन करके किसी के पास हो या कहीं भेजी जा रही हो ।

(5) इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस प्रतिबन्ध के साथ होगा कि उनकों बनाने से पहले प्रकाशित किया जाय ।

मछलियों की बिक्री का निषेध करने का अधिकार

4–राज्य सरकार, सरकारी गजट मे विज्ञप्ति द्वारा यह निषेध कर सकती है कि ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में, जो इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किये जायें, कोई ऐसी मछली बिक्री या अदला–बदली के लिये प्रस्तुत या प्रदर्शित न की जाय जो धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करके पकड़ी गई हो ।

दण्ड

5–धारा 3 के अधीन बनाये गये किसी नियम का या किसी ऐसे निषेध का उल्लंघन करने पर, जिसके सम्बन्ध में, धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति निकाली गई हो, नीचे लिखा हुआ दण्ड दिया जायगा ;

(1) पहली बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड,

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर 1950 द्वारा (प्रान्तीय सरकार) के लिए प्रतिस्थापित।

जिसकी अवधि दो मास तक हो सकती है या अर्थदण्ड, जो दो सौ रूपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड ; और

(2) बाद को प्रत्येक बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि बारह मास तक हो सकती है या अर्थदण्ड, जो पांच सौ रूपए तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड ।

ऐक्ट के अधीन किये गये अपराधों के लिये बिना वारन्ट के गिरफ्तारी

6–(1) कोई मछली पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, जो सब–इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो या कोई अन्य व्यक्ति जिसे [राज्य सरकार][1] इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकार दे, किसी व्यक्ति को, जो उसके विचार में मछली पकड़ने का कोई अपराध कर रहा हो या करने की चेष्टा कर रहा हो, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है :––

(क) यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे न मालूम हो ; और

(ख) यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता न बताता हो या यदि जो नाम और पता उसने बताया हो, उसके ठीक होने के सम्बन्ध में संदेह करने का कारण हो ।

(2) इस धारा के अधीन गिरफतार किया गया कोई व्यक्ति उस समय तक के लिये रोक रक्खा जा सकता है जब तक कि उसका नाम और पता ठीक–ठीक न मालूम हो जाय ;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उतने समय से अधिक न रोक रखा जायगा जितना उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो, सिवाय उस दशा के जब किसी मैजिस्ट्रेट ने उसे रोकने के लिये आज्ञा दी हो।

अधिनियम सं0 5, 1898

(3) प्रत्येक मछली पदाधिकारी को मछली पकड़ने के अपराध के सम्बन्ध में तलाशी लेने और जांच पड़ताल करने के वही सब अधिकार प्राप्त होंगे, जो दण्ड विधिसंग्रह (कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऐक्ट नं0 5, 1898 ई0) के अधीन सब–इंस्पेक्टर के पद के किसी पुलिस पदाधिकारी को प्राप्त है ।

द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे दर्जे के मजिस्ट्रेट की विचार करने का अधिकार नहीं है

7–(1) इस ऐक्ट के अधीन किसी अपराध पर कोई ऐसा न्यायालय विचार न कर सकेगा, जो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे श्रेणी का हो ।

(2) किसी मछली पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, जो सब इंस्पेक्टर के पद से निम्न पद का न हो या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा, जो प्रान्तीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किये गये हों, अभियोग प्रस्तुत किये जाने की दशा के अतिरिक्त किसी अन्य दशा में कोई न्यायालय इस ऐक्ट के अधीन किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा ।

कुछ अपराधों के सम्बन्ध में समझौता कराने का अधिकार

8–(1) गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर [1][राज्य सरकार] किसी मछली पदाधिकारी को स्वयं उसके नाम या उसके पद से इस बात का अधिकार दे सकती है कि वह :––

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विषय में ऐसा प्रमाण हो जिससे यदि उसका खंडन न किया जाय, यह सिद्ध हो कि उस व्यक्ति ने परिशिष्ट के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित मछली पकड़ने का कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिये मुआविजे के रूप में कोई धनराशि ग्रहण कर ले, जिसके सम्बन्ध में ऐसा प्रमाण (साक्ष्य) हो और ऐसी धनराशि ऐसे पदाधिकारी को दिये जाने पर वह व्यक्ति यदि हिरासत में हो, मुक्त कर दिया जायेगा और फिर उसके विरूद्ध और कोई कार्यवाही नही की जायेगी ;

(ख) किसी ऐसे सम्पत्ति को, जो जब्ती के योग्य होने के कारण जब्त कर ली गई

---

1 एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर 1950 द्वारा (प्रान्तीय सरकार) के लिए प्रतिस्थापित ।

हो, बिना कोई और धनराशि लिये या उसका ऐसा मूल्य लेकर, जिसका अनुमान ऐसे पदाधिकारी ने लगाया हो, मुक्त कर दे और उसके बारे में कोई अन्य कार्यवाही न की जायेगी ।

(2) उपधारा (1) के वाक्य खंड (क) के अधीन मुआविजे (क्षतिपूर्ति) के रूप में ग्रहण की गई धनराशि किसी भी दशा में उस धनराशि से अधिक न होगी, जो परिशिष्ट के प्रथम स्तम्भ में वर्णित अपराध विशेष के लिये उसके द्वितीय स्तम्भ मुआविजे के रूप में ली जा सकती हो ।

परिशिष्ट

(धारा 8 देखिए)

मुआविजे (क्षतिपूर्ति) की अधिकतम धनराशियां, जो मछली पकड़ने के कतिपय अपराधों के लिये धारा 8 के अन्तर्गत मुआविजे के रूप में ली जा सकती है ––

अपराध का विवरण	मुआविजे (क्षतिपूर्ति) के रूप में ली जाने योग्य अधिकतम धनराशि
1	2
	रुपया
1–ऐसे जाल से मछली मारना, जिसके फंदे इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित नाप से छोटे हों	100.00
2–बिना लाइसेंस के मछली मारना	100.00
3–ऐसी मछलियों को मारना, पकड़ना या बेचना या मारने, पकड़ने या बेचने की चेष्टा करना, जो इस ऐक्ट द्वारा निर्धारित मान (स्टैन्डर्ड) से कम नाप वा तौल की हो	50.00
4–मछली मारना बन्द रखने वालों की ऋतु में ऐसी जाति की मछलियों को मारना, पकड़ना या बेचना या मारने, पकड़ने या बेचने की चेष्टा करना, जिन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो	50.00
5–नियम के अधीन स्वीकृत विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य विधि या उपकरण से मछली पकड़ना	50.00
6–मछली मारते समय लाइसेंसदारों का बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों को अपनी जालों सहित मछली पकड़ने में सहायता देने के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना	50.00
7–ऐसे जलाशय मे मछली पकड़ना या पकड़ने की चेष्टा करना, जिसमें मछली मारने का निषेध हो ।	50.00
8–ऐसी मछलियों को बेचने या अदला–बदली करने के लिये उपस्थित या प्रदर्शित करना, जिनका धारा 4 के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र में बेचना निषिद्ध हो ।	50.00
9–निर्दिष्ट बाजार भाव से अधिक मूल्य पर मछली बेचना या बेचने की चेष्टा करना ।	50.00
10–धारा 3 की उपधारा (3) के वाक्य खण्ड (ज) के अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करके मछली को बाहर भेजना या भेजने की चेष्टा करना ।	500.00